चतुर्थ प्रश्न पत्र-2017

विधायी प्रारूपण एवं निवर्चन अधिनियम

(LEGISHATIVE DRAFTING & INTERPRETATION STATUTES)

नोट- कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

खण्ड-अ Section-A

1. विधायन के कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
Discuss some of the important principles of Legislation.

2. संविधियों की प्रकृति एवं उनके वर्गीकरण को बताइए।
State the nature of Statutes and their classification.

खण्ड-ब Section-B

3. संविधियों के निर्वचन में 'प्रस्तावना' की भूमिका एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।
Discuss the role and importance of "Preamble" in the Interpreation of Statutes. http://www.rdvvonline.com

4. शाब्दिक निर्वचन के नियम की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।
Discuss and illustrate the literal rule of Interpretation.

5. दाण्डिक विधियों की कठोर व्याख्या का क्या अर्थ है? उनकी ऐसी व्यवस्था क्यों की जानी चाहिए? उदाहरण दीजिए।
What is meant by strict construction of Penal Statutes? Why should they be construed so? Give illustration.

6. हितप्रद संविधियों के हितप्रद अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए।
What do you understand by Beneficial Construction of Beneficial Statutes?

7. निर्वचन के स्वर्णिम नियम की व्याख्या कीजिए।
Discuss the rules relating to the interpretation of Socio Economic Legislation.

8. सामाजिक एवं आर्थिक संविधियों के निर्वचन के नियमों की व्याख्या कीजिए।
Discuss the rules relating to the interpretation of Socio Economic Legislation. http://www.rdvvonline.com

खण्ड-स Section-C

9. के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 112 के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Discuss the facts and principles of law laid down in K.M.Nanawati Vs. State of Bormbay. A.I.R. 1961, SC 112.

10. हरला विरुद्ध राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1951 सु.को. 467 के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Describe the facts and principles of law laid down in Harla Vs. State of Rajasthan. A.I.R. 1951, SC 467.